



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़
अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर - 492002
(प्रधान मुख्य वन संरक्षक - मू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई-मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र०/LAND-43/209/2025-FOREST HQ

11931

नवा रायपुर, दिनांक 23/07/2025

प्रति,

अपर मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर

विषय:- Diversion of forest land for Non-Forest under Forest Conservation Act 1980 proposed for Govt. Polytechnic Building for Skill Upgradation Area 4.309 ha.-reg.

पंजीयन क्रमांक/FP/CG/Others/27773/2017

- संदर्भ:-** 1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, नवा रायपुर का पत्र क्रमांक/FC-II/IROCH-07/ 2021/ 529 दिनांक 08.02.2022
2. मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त का पत्र क्रमांक/ त.अ./ विविध/ 2025/ 2072 दिनांक 02.07.2025

* * * * *

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसमें भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, नवा रायपुर के संदर्भित पत्र-1 द्वारा प्राचार्य, शासकीय पॉलिटेक्निक, नाथिया नवागांव, जिला उत्तर बस्तर कांकेर का कांकेर जिले के कांकेर वन मंडल के नरहरपुर परिक्षेत्र अंतर्गत 4.309 हे. वन भूमि में "पॉलीटेक्निक कॉलेज" निर्माण के गैर वानिकी कार्य हेतु प्रथम चरण (सैद्धांतिक) स्वीकृति प्रदान की गई है।

संदर्भ पत्र-2 के माध्यम से मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर द्वारा अधिरोपित शर्तों का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन अनुशंसा सहित इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है जो निम्नानुसार है:-

क्र.	अधिरोपित शर्त	पालन प्रतिवेदन
i	Legal Status of the diverted forest land shall remain unchanged;	आवेदक विभाग द्वारा शर्त मान्य किया गया है, वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-1)
	Compensatory Afforestation :	
ii	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department Over 8.618 ha. Orange Area degraded forest land Compartment No. OA 1474, Village- Sirshida, Charama, Range- Charama, District Kanker at the Cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided;	गैर वानिकी कार्य हेतु व्यपवर्तित क्षेत्र के बदले कांकेर वनमंडल अंतर्गत परिक्षेत्र चारामा के ग्राम सिरसिदा के नारंगी वन कक्ष क्रमांक ओ.ए. 1474 में से रकबा 8.618 हेक्टेयर में उपलब्ध कराई गई नारंगी वनभूमि पर स्थानीय स्वदेशी प्रजाति के वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि रुपये 1,00,80,302.00 में से 1,00,00,000.00 रुपये ई-चालान जनरेट कर आर.टी.जी.एस. के माध्यम से UTR No. RBI0732599794255 दिनांक 10.3.2025 तथा वैकल्पिक वृक्षारोपण की शेष राशि 80302.00 रुपये एवं प्रत्याशा मूल्य की राशि 41,27,074.00 रुपये इस प्रकार कुल 42,07,376.00 रुपये को UTR No. SBIN5202503 -1878865890 दिनांक 18.3.2025 द्वारा कैम्पा खाता में जमा की गई है प्रकरण में उपलब्ध कराई

क्र.	अधिरोपित शर्त	पालन प्रतिवेदन
		गई नारंगी भूमि पर किसी प्रकार का मोनोकल्चर का कार्य नहीं किया जावेगा। चालान की प्रति संलग्न है। (संलग्नक-2)
iii	The Cost Compensatory Afforestation at the prevailing wage rate at per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposit in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years;	आवेदक विभाग द्वारा शर्त मान्य किया गया है, वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-3)
iv	NPV:	
(a)	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) at Present rate for the 4.309 ha. forest land being diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 28.03.2008, 24.03.2008 and 09.05.2008 in writ Petition (Civil) No. 202/1995 and the guidelines issued by the Ministry vide its letter No. 5-3/2007-FC Dated 05.02.2009 in this regard;	आवेदक विभाग द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, भारत के पत्र दिनांक 28.03.2008 के निर्देशानुसार व्यपवर्तित वनभूमि रकबा 4.309 हे. के लिए (Eco Class-III) खुला वन प्रति हेक्टेयर के निर्धारित दर 9,57,780.00 रुपये प्रति हेक्टेयर के मान से कुल राशि 41,27,074 रुपये एवं वैकल्पिक वृक्षारोपण की शेष राशि 80302.00 रुपये का ई-चालान जनरेटर कर आर.टी.जी.एस. के माध्यम से इस प्रकार कुल 42,07,376.00 रुपये को UTR No.SBIN5202503-1878865890 दिनांक 18.3.2025 द्वारा में जमा की गई है। (संलग्नक-4)
(b)	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect	प्रकरण के विरुद्ध गैर वानिकी कार्य के लिये व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि रकबा 4.309 हे. के लिए निर्धारित प्रत्याशा मूल्य में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रत्याशा मूल्य की प्रचलित राशि में संशोधन की जाती है तो अंतर की राशि राज्य सरकार या वन विभाग के द्वारा मांग की जाती है, तो प्रत्याशा मूल्य की अंतर की राशि को जमा करने के लिए विभाग वचनबद्ध है, वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-5)
v	All the funds received from the user agency under the project , except the funds realized for regeneration/ Demarcation of safety zone, shall be transferred to CAMPA through e-challan (https://parivesh.nic.in/) in the Saving Bank Account pertaining to the State Concerned;	आवेदक विभाग द्वारा शर्त मान्य किया गया है, वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-6)
vi	The boundary of the diverted forest land shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, forward and back bearing and distance from pillar to pillar;	आवेदक विभाग द्वारा शर्त मान्य किया गया है, वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-7)
vii	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector;	कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 11.05.2018 की प्रति संलग्न है। (संलग्नक-8)
viii	To improve the Forest/tree cover and to reduce pollution, as mandated in National Forest Policy, 1988 and Environmental (Protection) Act, 1986	आवेदक विभाग द्वारा शर्त मान्य किया गया है, वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-9)

क्र.	अधिश्रोपित शर्त	पालन प्रतिवेदन
	respectively, the User Agency shall develop a separate nursery at on ro more places to raise at least 5000 seedling for forestry species along with bamboo, fruity bearing, medicinal, ornamental and indigenous local every year. At least 50% of seedlings shall be planted by User Agency in the vicinity of project are including forest area and for hand holding with local people residing in vicinity of proposed road, User Agency shall voluntary distribute reamining 50% of seedling to them free of cost. A compliance report including species wise datailsfo seedling raised, location of plantation are and details of villagers whom seedlings have been distributed need to be prepared every six month and submitted to Regional Office to MoEF& CC.	
ix	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable,	आवेदक विभाग द्वारा शर्त मान्य किया गया है, वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-10)
x	No labour camp shall be established on the forest land;	आवेदक विभाग द्वारा शर्त मान्य किया गया है, वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-11)
xi	The User Agency shall provide fuels preferably alternate fuels to the labours and the staff working at the site so as avoid any damage and pressure on the nearby forest areas;	आवेदक विभाग द्वारा शर्त मान्य किया गया है, वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-12)
xii	The forest land shall not be used for any purpose other then that specified in the proposal;	आवेदक विभाग द्वारा शर्त मान्य किया गया है, वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-13)
xiii	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government	आवेदक विभाग द्वारा शर्त मान्य किया गया है, वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-14)
xiv	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies. department or person without prior approval of Central Government;	आवेदक विभाग द्वारा शर्त मान्य किया गया है, वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-15)
xv	No damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be casued;	आवेदक विभाग द्वारा शर्त मान्य किया गया है, वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-16)
xvi	Any tree felling shall be done only when it is unavoidable and that too under strict supervision of the State Forest Department;	आवेदक विभाग द्वारा शर्त मान्य किया गया है, वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-17)
xvii	The User Agency Shall submit six monthly self-compliance reports as on 1st January and 1st July of every year to this office as well as to the Nodal Officer of the State;	आवेदक विभाग द्वारा शर्त मान्य किया गया है, वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-18)
xviii	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the User Agency or the project life, whichever is less;	आवेदक विभाग द्वारा शर्त मान्य किया गया है, वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-19)
xix	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline.	आवेदक विभाग द्वारा शर्त मान्य किया गया है, वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-20)
xx	The State Government shall monitor compliance of conditions of forest clearacne and shall submit in this regard yearly report as on 31st December of every year;	आवेदक विभाग द्वारा शर्त मान्य किया गया है, वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-21)
xxi	Any other condition that the Ministry of	आवेदक विभाग द्वारा शर्त मान्य किया गया है, वचन

क्र.	अधिरोपित शर्त	पालन प्रतिवेदन
	Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife;	पत्र संलग्न है। (संलग्नक-22)
xxii	Grant of working permission to the extent proposal may be considered by the State Government in accordance with the provisions as contained in MoEF& CC's Guidelines dated 28.08.2015	आवेदक विभाग द्वारा शर्त मान्य किया गया है, वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-23)
xxiii	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/).	आवेदक विभाग द्वारा शर्त मान्य किया गया है, वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-24)

उपरोक्तानुसार संदर्भित पत्र-3 द्वारा प्रथम चरण स्वीकृति के अधिरोपित समस्त शर्तों की पूर्ति आवेदनकर्ता से पूर्ण करा ली गई है। तदनुसार शासन स्तर से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उप कार्यालय, नवा रायपुर को प्रकरण में अंतिम चरण स्वीकृति जारी करने हेतु पत्र प्रारूप अनुशंसा सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार
(पालन प्रतिवेदन 2 प्रतियों में)
(प्र.मु.व.स. एवं वन बल प्रमुख द्वारा अनुमोदित)

Digitally signed by
Sunil Kumar Mishra
Date: 22-07-2025

प्रधान संरक्षक
(भू-प्र./वन (सं. एवं सं.) अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/ LAND-43/209/2025-FOREST HQ/1932
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

नवा रायपुर, दिनांक 27/07/2025

- मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर, छत्तीसगढ़।
- वन मंडलाधिकारी, कांकेर वन मंडल, कांकेर, छत्तीसगढ़।
- प्राचार्य, शासकीय पॉलिटेक्निक, नाथिया नवागांव, जिला उत्तर बस्तर कांकेर।